CIN: U40109RJ2000SGC016486

JPD-6/436

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर, 5

टेली.: 0141-2747039, फैक्स: 0141-2747039

क्रमांकः जेपीडी/विशेषाधिकारी (ले.क.रा)/राजस्व/प्रे.4363 दिनांक : 10/2/2016

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि वृत्तों से प्राप्त MIS 3.1 एवं 3.2 में औसत राजस्व निर्धारण प्रति यूनिट दर राजस्थान राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों (Tariff Rates) के अनुसार परिलक्षित नहीं हो पा रही है। दिसम्बर 2015 की MIS 3.1 में तो प्रति यूनिट में बहुत ज्यादा कमी पायी गई जो गम्भीर चिन्ता एवं जांच का विषय तो है ही, साथ ही इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी दिशा– निर्देशों परिपत्र सं0 1030 दिनांक 15.05.11 (जेपीडी–6/337), 208 दिनांक 23.01.15 (जेपीडी–6/416) एवं 3525 दिनांक 03.11.15 (जेपीडी–6/432) की पालना सुनिश्चित नहीं किया जाना गम्भीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश सख्त पालना हेतु जारी किये जाते हैं :–

1. दिशा निर्देशों परिपत्र सं0 1030 दिनांक 18.05.11 (जेपीडी–6/337), 208 दिनांक 23.01.15 (जेपीडी–6/416) एवं 3525 दिनांक 03.11.15 (जेपीडी–6/432) की पालना अक्षरशः हो जिससे कि बिना राजस्व निर्धारण राशि के उपभोग (यूनिट) एवं अनावश्यक उपभोग यूनिट, अन्य किसी तरीके से या MS- 14 से नहीं भेजी जावे।

2. कुछ वृत्तों में ऐसे प्रकरण ध्यान में लाये गये हैं कि वर्ष के अन्त तक राजस्व वसूली की प्रतिशत दर में वृद्धि करने हेतु किसी भी तरह की Sundry advice के द्वारा बिना किसी औचित्य के राजस्व राशि (Assessment) को कम कर दिया जाता है इस तरह का कृत्य पूर्ण रूप से अनियमित व अनुचित है। इसी प्रकार गलत बिलिंग पर किये जाने वाले समायोजन का उपभोक्तावार खाता व संख्या का विस्तृत विवरण सहायक अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सत्यापित कर वृत्त के लेखाधिकारी द्वारा संतुष्टि होने पर ही इस प्रकार समायोजन किया जाना चाहिये। यदि इस प्रकार गलत समायोजन कर MS- 14 का अनावश्यक दुरूपयोग किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पुनः आगाह किया जाता है कि MS- 14 या अन्य माध्यम के द्वारा गलत सूचना का MIS 3.1 व 3.2 में समावेश किये जाने पर सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, लेखाधिकारी व अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से एवं संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार के कृत्य की अंकेक्षण जांच में यह पाया गया कि निर्देशों की पालना में कोई कोताही पायी गई तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(वाई. एस. राठौड़)
निदेशक (वित्त)

रवि कुमावत :- 85

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम,.....।
2. अधीक्षण अभियन्ता (आई. टी.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम, ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ) जयपुर डिस्कॉम, ।

(के. एल. गुप्ता)
विशेषाधिकारी (लेकरा)

रवि कुमावत :- 86